दिनांक- 17.07.2016 को श्री चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0, प्रभारी सचिव, औरंगाबाद जिला की अध्यक्षता में बाढ़/सुखाड़ के निमित आहूत् समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही-

उपस्थिति :- उपस्थिति पंजी में दर्ज।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम प्रभारी सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया एवं अभिवादन स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए जिले में बाढ़/सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए की गयी तैयारियों की समीक्षा की गयी।

वर्षापात :-

समीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम सभी अंचल अधिकारियों से प्रखण्डवार 16 जुलाई, 2016 तक हुई वर्षा की जानकारी प्राप्त की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गोह, रफीगंज, मदनपुर, देव एवं नबीनगर में अबतक औसत से कम वर्षा हुई है। धान आच्छादन का प्रतिशत कम रहने के संबंध में पूछे जाने पर अंचल अधिकारी, गोह द्वारा बताया गया कि गोह में नहर का पानी पहुँच गया है तथा अबतक 12 प्रतिशत धान का आच्छादन हो गया है। उम्मीद है कि एक सप्ताह में आच्छादन कार्य समाप्त हो जायेगा। अंचल अधिकारी, नबीनगर द्वारा बताया गया कि नर्बीनगर में वर्षा का अनुपात तो कम है, परन्तु नहर में पानी आ जाने के कारण रोपनी का काम प्रारम्भ हो गया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द रोपनी का कार्य समाप्त हो जायेगा।

लघु सिंचाई :-

कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल बैठक से अनुपस्थित पाये गये। जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस दिन का इनका वेतन स्थगित रखा जाय।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में राजकीय नलकूपों की कुल संख्या 89 है, जिसमें संयुक्तदोष के कारण 71 नलकूप लगभग 30–40 वर्ष से बन्द पड़े है, जबकि 18 नलकूप चालू है। आगे बताया गया कि 71 बन्द पड़े नलकूपों में से 38 चालू होने लायक है, जिसका प्राक्कलन तैयार कर विभाग को भेजा गया है। प्रभारी सचिव द्वारा बताया गया कि वे भी चालू होने लायक बन्द पड़े नलकूपों के शीघ्र मरम्मति हेतु विभागीय प्रधान सचिव से अनुरोध करेंगे।

नावार्ड फेज–3 में इस जिले में कुल 3 नलकूप है, जिसमें से संयुक्त दोष के कारण 2 बन्द है, जबकि एक चालू है।

नवार्ड फेज–8 में कुल 10 नलकूप हैं, जिसमें से सभी 10 संयुक्त दोष के कारण बन्द है, इसमें से 6 नलकूपों के मरम्मति हेतु प्राक्कलन तैयार कर विभाग को भेजा गया है।

इसी तरह नवार्ड फेज–11 में नलकूपों की संख्या 17 है, जिसमें से 6 बन्द है तथा 9 चालू है। दो संयुक्त दोष के कारण बन्द है। बन्द पड़े 6 अद्द निविदा प्रकिया में है।

उद्वह सिंचाई योजना :–

इस जिले में उद्वह सिंचाई योजना की संख्या–49 है, जिसमें से 13 चालू है तथा 36 बन्द है। 6 का कार्य प्रगति पर है।

निजी शताब्दी नलकूप :–

निजी शताब्दी नलकूप में कुल 1549 आवेदन प्राप्त हुए है, जिसमें जांचोपरान्त 241 आवेदनों को स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत आवेदनों में 108 आवेदन डी0आर0डी0ए0 में भेजा गया है तथा 101 को भुगतान किया जा चुका है।

सिंचाई :–

समीक्षा के क्रम में सिंचाई विभाग अन्तर्गत उतर कोयल नहर प्रमण्डल एवं सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता को सूचना देने के बावजूद बैठक में उपस्थित नहीं रहने पर खेद प्रकट किया गया। सिर्फ सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद के अधीक्षण अभियन्ता बैठक में उपस्थित थे। उनके द्वारा पानी की उपलब्धता एवं वितरण के संबंध में सही–सही जानकारी नहीं दी जा सकी। सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद के कार्यपालक अभियन्ता से उनके मोबाईल पर पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि वे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे है। इस पर प्रभारी सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि वे एक घण्टे के अन्दर मुख्यालय पहुँच कर जिला पदाधिकारी से मिले। जब उन्हें दुबारा एक घण्टे के अन्दर जिला पदाधिकारी से मिलने का निदेश दिया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वे पटना में है, जबकि इस बैठक की सूचना उन्हें एक दिन पूर्व प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा शाखा, औरंगाबाद द्वारा दी गयी थी। इस पर प्रभारी सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि उनका दिनांक–17.07.2016 का एक दिन का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की जाय तथा इनके विरूद्व विभाग को भी प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।

बैठक में उपस्थित अधीक्षण अभियन्ता, उतर कोयल नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि इन्द्रपुरी बराज में पानी की कुल उपलब्धता 18468 क्यूसेक है, जिसमें से पूर्वी लिंक नहर, जिससे औरंगाबाद जिले में नहर से जलापूर्ति होती है, में 3507 क्यूसेक

पानी प्रवाहित हो रहा है। इसमें से सोन उच्च स्तरीय नहर में 900 क्यूसेक तथा पटना मुख्य नहर में 2400 क्यूसेक पानी ही दिया जा रहा है। प्रभारी सचिव द्वारा इन्द्रपुरी बराज में पानी की कुल क्षमता के संबंध में पूछे जाने पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सही जानकारी नहीं दी जा सकी।

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्वी लिंक नहर की क्षमता 4650 क्यूसेक की है, जिसके विरूद्व मात्र 3500 क्यूसेक पानी उसमें छोड़ा गया है। कम पानी छोड़े जाने के संबंध में पूछे जाने पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कुछ भी नहीं बताया जा सका।

प्रभारी सचिव द्वारा पूछे जाने पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कहीं कोई दिक्कत नहीं होने की बात कही गयी। इस क्रम में पूछे जाने पर अंचल अधिकारी, गोह द्वारा बताया गया कि गोह के नीचले हिस्से तक पानी पहुँच गया है।

अधीक्षण अभियन्ता को सिंचाई व्यवस्था चुस्त–दुरूस्त रखने एवं सतर्क रहने का निदेश दिया गया।

<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल :–</u>

कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि औरंगाबाद शहरी क्षेत्र में चार पम्प है, जो चालू है, लेकिन पानी का लेवल नीचे चले जाने के कारण चापाकल से पानी कम प्रवाहित होता है। उनके द्वारा आगे बताया गया कि एक बड़ा जलमीनार है, जिसमें ग्राम–मंजुराही से पानी आता था और शहरी क्षेत्र में आपूर्ति किया जाता था, किन्तु सड़क चौड़ीकरण कार्य में लगभग छः किलोमीटर तक पाईप क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण उससे जलापूर्ति बन्द है। यह मरम्मति योग्य नहीं है। इस कारण शहरी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति चापाकल एवं निजी पम्प से होता है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं है। गर्मी के दिन में नगर परिषद द्वारा दो प्याउ लगाया गया था।

कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि रफीगंज में पानी की समस्या है। विभाग द्वारा वहॉ पर चार जगह बोरिंग कराया गया, किन्तु सफल नहीं हुआ, क्योंकि नीचे पत्थर मिल जा रहा है। इसलिए वहॉ चापाकल से ही पानी की आपूर्ति की जा रही है।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद को निदेश दिया गया कि वे कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रफीगंज/नबीनगर/रफीगंज, कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, बिहार राज्य जल पर्षद के अभियन्तागण से मिलकर अलग से एक अल्पकालीन कार्य योजना तैयार कर शीध्र विभाग को भेजे, ताकि वैकल्पिक कार्य योजना के तहत आवश्यक कार्रवाई शीध्र सुनिश्चित की जा सके।

कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत, नबीनगर में भी चापाकल के जलापूर्ति होती है। वहॉ भी नलकूप नहीं है।

प्रभारी सचिव द्वारा पूछे जाने पर कार्यपालक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकल के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है। पूछे जाने पर बताया गया कि चापाकल पानी नहीं छोड़ता है, क्योंकि अब सभी जगह इंडिया मार्क–3 चापाकल गाड़ा जा रहा है, जो पानी नहीं छोड़ता है।

कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल द्वारा यह भी बताया गया कि इस जिले में 29000 चापाकल है, जिसमें से 24148 चालू है, शेष लगभग 5000 खराब है, जो मरम्मति के लायक नहीं है। कार्यपालक अभियन्ता द्वारा यह भी बताया गया कि जिले में 16 ग्रामीण पाईप जलापूर्ति एवं 28 सौर उर्जा आधारित मिनी पाईप जलापूर्ति योजना से जलापूर्ति की जा रही है।

"सात निश्चय" योजना अन्तर्गत औरंगाबाद जिला को फ्लोराईड आच्छादित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। आगे बताया गया कि अबतक फ्लोराईडयुक्त पानी वाले ऐसे 49 बसावट चिन्हित किये गये है, जिसकी सूचना विभाग को दी जा चुकी है।

अमृत योजना :–

इस योजना अन्तर्गत शहर में पेय जलापूर्ति की जवाबदेही बी0आर0जे0पी0 को दिया गया है, जिसके तहत उनके द्वारा योजना तैयार की गयी है, जिसमें ग्राम–मंजुराही में बोरिंग करके शहर में जलापूर्ति की व्यवस्था है, क्योंकि शहर में पानी की मात्रा जमीन के अन्दर बहुत कम है। इस योजनान्तर्गत दाउदनगर में जलापूर्ति योजना पर कार्य कराया जा रहा है।

पानी की समस्या के बारे में पूछे जाने पर कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल द्वारा बताया गया कि ग्राम–मंझियावां, घिरसिन्डी, सुरार में पानी की समस्या उत्पन्न हुई थी, जहॉ टैंकर से पानी भेजा गया था। अब वाटर लेवल आ जाने के कारण पानी की समस्या समाप्त हो गया है।

कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल द्वारा बताया गया कि इंडिया मार्का–II-III चापाकलों की मरम्मति हेतु भण्डार में 65 मी0मी0 एवं 32 मी0मी0 व्यास का राईजर अनुपलब्ध रहने के कारण चापाकल मरम्मति में काफी कठिनाई हो रही है। इसकी आपूर्ति हेतु मुख्य अभियन्ता से अनुरोध किया गया है, किन्तु अबतक अप्राप्त है। कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल द्वारा अनुरोध किया गया कि राईजर पाईप एवं वितीय शक्ति प्रतिनियोजन हेतु प्रशासी विभाग से अनुमति मिल जाने पर चापाकल मरम्मति कार्य कराने में सुविधा होगी।

पशुपालन :-

पशुचारा की व्यवस्था के संबंध में पूछे जाने पर पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि चारा पर्याप्त मात्रा में सभी जगह उपलब्ध है। अभी चारा की कोई आवश्यकता नहीं है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर चारा की आवश्यकता होगी, इसी के मद्देनजर निविदा निकाला गया है।

दवा की उपलब्धता के संबंध में पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भण्डार में अभी 23 प्रकार का दवा उपलब्ध है, जो 35 पशु चिकित्सालयों में भेज दिया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 01 अगस्त, 2016 से 15 अगस्त, 2016 तक मनाये जाने वाले पशु टीकाकरण पखवारा पर यथेष्ठ कार्य किया जायेगा।

स्वास्थ्य विभाग :-

सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि जिले में दवा की कमी नहीं है। सभी पी0एच0सी0/ए0पी0एच0सी0 में सभी तरह की दवा उपलब्ध है। साथ ही, स्टॉक में भी सभी प्रकार का दवा उपलब्ध है।

सिविल सर्जन द्वारा यह भी बताया गया कि डायरिया के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। डायरिया से संबंधित सभी तरह की दवा उपलब्ध है। साथ ही कॉलरा से संबंधित सभी तरह की दवाएँ उपलब्ध है।

सिविल सर्जन द्वारा यह भी बताया गया कि जिले में पुरूष एवं महिला दोनों तरह के डॉक्टरों की कमी है। जिले में मात्र दो महिला डॉक्टर है (एक सदर अस्पताल, औरंगाबाद में एवं एक हसपुरा में)। अनुबंध पर बहाली समाप्त कर दिये जाने के कारण महिला चिकित्सक की और कमी हो गयी है। सिविल सर्जन द्वारा बी0पी0एस0सी0 से बहाली होने एवं उसके पश्चात् अनुबंध पर बहाली किये जाने की बात कही गयी।

बाढ़ नियंत्रण :-

बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, गया द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा कटाव निरोधक कार्य किया जायेगा। वर्तमान में ओबरा प्रखण्ड अन्तर्गत शहर एवं बाजार में तथा गोह प्रखण्ड अन्तर्गत बेलार मठ/बैजलपुर/बेला एवं उपहारा में कटाव निरोधक कार्य किये जाने की बात इनके द्वारा बतायी गयी। आगे बताया गया कि अभी कटाव निरोधक कार्य कराने की आवश्यकता नहीं है एवं स्थिति नियंत्रण में है।

विद्युत विभाग :-

कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल द्वारा बताया गया कि बिजली दोष के कारण बन्द वैसे नलकूपों को चालू करना है, जो पांच पोल के अन्दर आता है। पांच

पोल से अधिक होने पर प्राक्कलन बनाकर विभाग को भेजा जाता है। वहाँ से स्वीकृति प्राप्त होने पर उसपर कार्य कराया जाता है। पांच पोल से अधिक वाले नलकूपों का सर्वे एक सप्ताह के अन्दर कर लिया जायेगा। उसके बाद प्राक्कलन बनाकर विभाग को भेज दिया जायेगा।

भूमि संरक्षण विभाग :-

उप निदेशक (शष्य)–सह–भूमि संरक्षण पदाधिकारी, औरंगाबाद बैठक से अनुपस्थित पाये गये। उक्त अवधि का इनके वेतन को रोकने का निदेश दिया गया।

कृषि विभाग :-

डीजल अनुदान के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि अभी तक इस वितीय वर्ष में योजना स्वीकृत नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द ही योजना स्वीकृत होने की सम्भावना है। चूँकि जिले में अभी काफी अच्छी वर्षा हो रही है। इसलिए डीजल अनुदान की आवश्यकता नहीं महसूस की जा रही है। माह अगस्त तक सम्भावना रहती है कि खरीफ फसल लग जाये। इसके बाद यदि सुखाड़ की स्थिति पैदा होती है तो जो अनाच्छादित क्षेत्र है, उसमें कार्य योजना बनाकर, विशेष रूप से तोरिया और कुल्थी फसल का बीज विभाग से मांग की जायेगी।

जिले में आकस्मिक फसल योजना तैयार कर ली गयी है। सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने पर इसपर कार्रवाई की जायेगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :-

यह नई योजना है, जो इसी वितीय वर्ष में लागू किया गया है। खरीफ, रब्बि एवं औद्यानिक फसलों में बहुत कम प्रीमियम पर किसानों को सुविधा दी जायेगी। इसके नोडल पदाधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी हैं। किसानों के बीच में इस योजना का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि कृषि विभाग द्वारा किसानों के बीच कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत लगभग 883 पम्पसेट एवं इलेक्ट्रीक मोटर वितरण किया गया है, जिससे कुल सिंचाई क्षमता 4415 हे0 किया जा सकता है।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

25/3/2017

प्रधान सचिव,
नगर विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4797 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 26/7/16

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

25/7/2016
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4797 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 26/7/16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/7/2016
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4797 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 26/7/16

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी संबंधितों को कार्यवाही से अवगत कराया जाय।

25/7/2016
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4797 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 26/7/16

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/7/2016
प्रधान सचिव